न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
53 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	25.06.2020	03.02.2023

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.....आवेदक

बनाम

1–श्री सीताराम वैष्णव पुत्र श्री रामदास वैष्णव एफ.बी.ओ. मैसर्स वैष्णव मिष्ठान भण्डार एण्ड रेस्टोरेन्ट बस स्टैण्ड पीपलू जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 9 रानोली रोड पीपलू जिला टोंक
2–मैसर्स वैष्णव मिष्ठान भण्डार एण्ड रेस्टोरेन्ट बस स्टैण्ड पीपलू जिला टोंक
3–श्री नरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री पारस चन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स जे.के. एजेन्सीज झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज. निवासी मकान नं. 26, शांति नगर, दीनदयाल कॉलोनी, एस.बी. आई. बैंक के पीछे, निवाई जिला टोंक
4–मैसर्स जे.के. एजेन्सीज झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज.
5–श्री अशोक कुमार माथुर पुत्र श्री गणपत लाल माथुर निवासी सी–92, हरि मार्ग, मालवीय नगर जयपुर नॉमिनी मैसर्स गुजरात कॉ–ऑपरिटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड श्रीरापमुरा कॉलोनी सिविल लाईन्स जयपुर
6–मैसर्स गुजरात कॉ–ऑपरिटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड श्रीरापमुरा कॉलोनी सिविल लाईन्स जयपुर

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा (ii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थीगण की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार जैन उपस्थित।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 03.02.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.10.2019 को समय 04:01 पी.एम पर मैसर्स वैष्णव मिष्ठान भण्डार एण्ड रेस्टोरेन्ट बस स्टैण्ड पीपलू जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री सीताराम वैष्णव पुत्र श्री रामदास वैष्णव मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सीताराम वैष्णव ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री सीताराम वैष्णव की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **मिल्क रस्क अमूल प्रीमियम मूल पैक (Milk Rusk Amul Premium Origional Pack)** जिसके बैच नम्बर KIW1731 व पैकिंग की दिनांक जून 2019 थी, के 200 ग्राम के 25 पैकेट रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सीताराम वैष्णव को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **मिल्क रस्क अमूल प्रीमियम मूल पैक (Milk Rusk Amul Premium Origional Pack)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया जा रहा है, 200 ग्राम के 4 पैकेट खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिल्क रस्क अमूल प्रीमियम मूल पैक (Milk Rusk Amul Premium Origional Pack)** कुल 800 ग्राम को अलग–अलग 200–200 ग्राम लेकर चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2297 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2297 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

श्री सीताराम वैष्णव ने मैसर्स जे.के. एजेन्सीज झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज. का वारन्टी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया व मैसर्स जे.के. एजेन्सीज झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज. से आवेदक द्वारा सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स गुजरात कॉ–ऑपरिटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड श्रीरापमुरा कॉलोनी सिविल लाईन्स जयपुर का बिल पेश किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2019 / 2371 दिनांक 11.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. / 2173 / एक्ट / 2019 / 1719 दिनांक 11.10.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया **मिल्क रस्क अमूल प्रीमियम मूल पैक (Milk Rusk Amul Premium Origional Pack)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विकेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार जैन उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **मिल्क रस्क अमूल प्रीमियम मूल पैक (Milk Rusk Amul Premium Origional Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र कुमार जैन एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिल्क रस्क अमूल प्रीमियम मूल पैक (Milk Rusk Amul Premium Origional Pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 15,000/– (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 03.02.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0